KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna-6
Mob : 8877918018, 875735880
BPSC (Mains) Current Affairs
By : SKC Sir

महिला आरक्षण विधेयक-2023

वर्तमान संदर्भ

- केंद्र सरकार द्वारा नए संसद भवन में ऐतिहासिक पहले विधेयक के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पेश किया गया।

विवरण

- संविधान (एक सौ अट्ठाईसवाँ) संशोधन विधेयक, 2023 को इसके पारित होने के बाद आयोजित नवीनतम जनगणना के आँकड़ों का उपयोग करके, परिसीमन किए जाने के बाद ही लागू किया जा सकता है।
- अगला परिसीमन कार्य वर्ष 2026 में निर्धारित है। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा में महिला आरक्षण का जल्द से जल्द क्रियान्वयन भी अगले साल के चुनावों के बजाय वर्ष
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से इस विधेयक को आम सहमति से पारित करने की अपील की है। उन्होंने स्मरण कराया कि पिछले 27 वर्षों में इस तरह के विधेयक को पारित करने के सभी प्रयास किस प्रकार से विफल रहे हैं।
- इस विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया गया, जिस से सदन में महिला सदस्यों की संख्या वर्तमान के 82 से बढ़कर 181 होने की संभावना है।

जरूरत

- लोकसभा में 82 महिला सांसद (15.2%) और राज्यसभा में 31 महिलाएं (13%) हैं।
- जबकि पहली लोकसभा (5%) के बाद से यह संख्या काफी बढ़ी है लेकिन कई देशों की तुलना में अभी भी काफी कम है।
- हाल के संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार, रवांडा (61%), क्यूबा (53%), निकारागुआ (52%) महिला प्रतिनिधित्व में शीर्ष तीन देश हैं। महिला प्रतिनिधित्व के मामले में बांग्लादेश (21%) और पाकिस्तान (20%) भी भारत से आगे हैं।

विधेयक की मुख्य - विशेषताएँ

1. **महिलाओं के लिए आरक्षण :** यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।
2. **आरक्षण का लागू होना :** इस विधेयक के पास होने के बाद होने वाली जनगणना के आँकड़ों को जारी करने के बाद ही यह आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा।
3. **समय सीमा :** आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा।
4. **एससी, एसटी के लिए उप-कोटा :** महिला कोटा के अंतर्गत ही, एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
5. **सीटों का रोटेशन :** महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक 10 साल में प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेट किया जाएगा, क्योंकि वर्ष 2026 से, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य है।

ध्यान देने योग्य मुद्दे

1. **विश्लेषात्मक दृष्टिकोण :** क्या महिलाओं के लिए आरक्षण नीति उनके सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकती है?
   - क्या विधानमंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के वैकल्पिक तरीके संभव हैं?
   - क्या विधेयक में आरक्षण की प्रस्तावित पद्धति के संदर्भ में कोई दिक्कत है।
2. **आरक्षित सीटों का चक्रण (रोटेशन) :** फिर से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होने की संभावना के कारण सांसदों की अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काम करने की प्रेरणा कम हो सकती है।
   - पंचायती राज मंत्रालय के एक अध्ययन में सिफारिश की गई है कि पंचायत स्तर पर निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 85 प्रतिशत महिलाएँ पहली बार चुनी गई और केवल 15 प्रतिशत महिलाएँ ही दोबारा निर्वाचित हो सकीं, क्योंकि जिन सीटों से वे चुनी गईं थीं, वे अनारक्षित थीं।
3. **राजनीतिक विरोध :** विपक्ष ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि यह विधेयक हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण को कम कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप महिला उम्मीदवारों और उनके बीच सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
4. **आम सहमति का अभाव :** इस मुद्दे पर अलग-अलग दलों के अलग-अलग रुख के कारण भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

5. **सामाजिक मानदंड :** गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंड और लैंगिक पूर्वाग्रह राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं।
- ❖ पारिवारिक और सामाजिक दबाव महिलाओं को राजनीति में करियर बनाने से हतोत्साहित करते हैं।
- ❖ सुरक्षा, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं से संबंधित चिंताएँ

सुरक्षा

- ❖ महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने से रोकती हैं।

6. **हिंसा और उत्पीड़न :** भारत का राजनीतिक क्षेत्र भी लैंगिक हिंसा और उत्पीड़न से अछूता नहीं है। महिला राजनेताओं और उम्मीदवारों ने धमकियों, उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं की शिकायत की है, जो उनकी भागीदारी में बाधा बन सकती हैं।

महत्व

1. यह आरक्षण कोटा सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक लैंगिक असंतुलन का समाधान करना है।
- ❖ इस अग्रसक्रिय उपाय का उद्देश्य लैंगिक समानता को हासिल करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं को निर्णय लेने के उच्चतम स्तर में भाग लेने का उचित अवसर प्राप्त हो।
- ❖ यह इस बात का भी संकेत देता है कि भारतीय समाज महिलाओं के योगदान को पहचानता है और उन्हें महत्व देता है, जिससे यह संदेश जाता है कि देश के भविष्य को आकार देने में महिलाओं का स्वर और दृष्टिकोण आवश्यक है।

2. रोटेशन प्रणाली महिला प्रतिनिधियों के बीच जनसांख्यिकीय विविधता को बढ़ावा देती है और यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न समुदायों, पृष्ठभूमि और सामाजिक समूहों की महिलाओं को समय के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए।
- ❖ इस विधेयक में विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के स्थायी आवंटन का प्रावधान नहीं है जो महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देता है।

3. इस विधेयक द्वारा उन पारंपरिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, जो अतीत में महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने से हतोत्साहित करने के कारक थे।
- ❖ यह विधेयक राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति की रूढ़िवादिता को तोड़ने के साथ-साथ और अधिक समावेशी तथा लैंगिक समानता वाले समाज का निर्माण करने में मदद करेगी।

4. महिला सशक्तिकरण का यह कदम राजनीति से परे है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में सफल महिलाएँ दूसरों के लिए आदर्श बन सकती हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक भागीदार बनने के लिए के लिए प्रेरित कर सकती हैं।
- ❖ महिला राजनेता पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और मानदंडों को चुनौती दे सकती हैं, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक में व्यापक परिवर्तन संभव हो सकता है।

5. राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से, महिलाएँ उन नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम हो सकती है, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन और उनके समुदाय को प्रभावित करती हैं।
- ❖ यह सशक्तिकरण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, लौगिक हिंसा, आर्थिक अवसरों आदि में ठोस बदलाव ला सकता है।
- ❖ राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से उन लिंग-विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, जिन्हें अतीत में अनदेखा किया गया है।
- ❖ विविध दृष्टिकोण अधिक व्यापक और संतुलित निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होते हैं।

6. यह तथ्य कि वर्तमान विधेयक को वर्ष 2026 के परिसीमन तक लागू नहीं किया जा सकता है, इसका अर्थ यह है कि सरकार लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की परिकल्पना कर सकती है।
- ❖ नए संसद भवन की लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता है।

आगे की राह

- ❖ भारत में अपनी माताओं और बेटियों को समान स्वर के लिए सक्षम करना और एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधायिका से लेकर समाज में व्यापक बदलाव सुनिश्चित किया जाना अवश्यक है।

01. हाल ही भारतीय संसद ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम - 2023' को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक का मूल्यांकन करते हुए। इसके महत्व और चुनौतियां की स्पष्ट व्याख्या करें।

Recently, the Indian Parliament has taken a historic step and given final approval to "Nari Shakti Vandan Act & 2023"- While evaluating this bill- Explain clearly its importance and challenges.

02. हाल ही में खबरों में रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की आवश्यकता एवं महत्व - पर चर्चा करें । इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क से स्पष्ट करें कि यह किस प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है?

Discuss the need and importance of "Nari Shakti Vandan Act 2023" which was in the news recently- Explain with your arguments in favor and against how it can play an important role in the empowerment of women.

03. क्या चर्चित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक था? क्या इससे महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो पाएगा? अपना पक्ष रखें।

the much talked about "Nari Shakti Vandan Act & 2023" necessary for women empowerment Will this ensure women empowerment make your point.

सप्रे समिति

संदर्भ

मुख्य बिंदु

- सप्रे समिति मार्च 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित छह सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल है ।
- हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने की।
- समिति की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कोई नियामक विफलता नहीं थी।

समिति के अन्य सदस्य थे–

1. **ओपी भट्ट :** एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष
2. **न्यायमूर्ति जेपी देवधर :** बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
3. **केवी कामथ :** पूर्व बैंकर
4. **नंदन नीलेकणि :** इन्फोसिस के सह-संस्थापक
5. **सोमशेखर सुंदरेसन :** प्रतिभूति वकील

अजय लांबा समिति

संदर्भ

मुख्य बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को मणिपुर हिंसा की जांच के लिए स्पष्ट जनादेश दिया गया है।
- आयोग इस बात का भी आकलन करेगा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार
- अधिकारियों या व्यक्तियों की ओर से कोई चूक या लापरवाही हुई है या नहीं।
- आयोग विशेष रूप से मणिपुर में विभिन्न समुदायों को लक्षित करने वाली हिंसा और दंगों के कारणों और प्रसार की जांच करेगा।
- यह हिंसा को रोकने और संबोधित करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता के साथ-साथ जिम्मेदार अधि कारियों द्वारा घटनाओं की प्रतिक्रिया की जांच करेगा। आयोग की
- व्यक्तियों या संघों द्वारा उसके समक्ष लाई गई शिकायतों या आरोपों पर विचार करने का अधिकार है।
- आयोग का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा कर रहे हैं।
- न्यायमूर्ति लावा की सहायता में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं।
- प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन डोमेन से उनका सामूहिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि एक व्यापक जांच में योगदान देगी।

गीता मित्तल समिति

संदर्भ

मुख्य बिंदु

- मणिपुर में राहत और पुनर्वास प्रयासों की निगरानी के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गीता मित्तल समिति की स्थापना की गई थी। समिति को जातीय हिंसा के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की देखरेख का काम सौंपा गया था। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को तीन रिपोर्ट सौंपी।
- समिति की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने की समिति में ये भी शामिल:
- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शालिनी पी
- जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मित्तल
- समिति ने मणिपुर में पीड़ितों के आईडी प्रमाण के नुकसान पर रिपोर्ट दायर की। समिति ने 4 मई से मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भी जांच की।

रोहिणी आयोग

संदर्भ

मुख्य बिंदु

- रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- यह रिपोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप- वर्गीकरण पर थी।
- आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर किया गया था.. आयोग को 12 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी।
- लेकिन, केंद्र सरकार ने 13 बार आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया।
- आयोग को ओवीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना था।
- आयोग की रिपोर्ट में दो भाग हैं।
- ओवीसी कोटा कैसे आवंटित किया जाना चाहिए।
- देश भर की 2,633 ओवीसी जातियों की अब तक की सूची।
- आयोग की रिपोर्ट का पहला भाग यह बताता है। कि ओबीसी कोटा कैसे आवंटित किया जाना चाहिए. दूसरा भाग देश भर की 2,633 ओबीसी जातियों की अब तक की सूची शामिल करता है।

ooo